न्यायालय : सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : केशव कौशिक, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) (UID No.RJ00156)

दाण्डिक अपील संख्या : 141/2025
सी.एन.आर. नम्बर : RJDS010013792025

मोतीलाल पुत्र हरगोविन्द, उम्र 33 वर्ष निवासी रामसिंहपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।
....अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

श्रीमती ममता पत्नी मुकेश, उम्र 25 वर्ष निवासी रामसिंहपुरा तहसील दौसा जिला दौसा। ....प्रत्यर्थी/अभियुक्ता

दाण्डिक अपील, विरुद्ध निर्णय एवं आदेश दिनाँक 13.10.2025 बअदालत श्रीमती सीमा करोल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1 दौसा जिला दौसा, फौजदारी प्रकरण संख्या 2335/2023 उनवानी मोतीलाल बनाम श्रीमती ममता, अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट।

उपस्थितिः

1. श्री मदन मोहन बैरवा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/परिवादी
2. श्री सांवलराम मीना, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थिया/अभियुक्ता

निर्णय **दिनाँकः 30.06.2026**

1. यह दांडिक अपील, अपीलार्थी/परिवादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, दौसा द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 2335/2023 उनवानी मोतीलाल बनाम श्रीमती ममता में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनाँक 13.10.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थिया/अभियुक्ता को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसके पश्चात् एन.आई.एक्ट नाम से संबोधित किया जायेगा) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/परिवादी मोतीलाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रत्यर्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ममता के विरुद्ध दिनाँक 21.07.2023 को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया था कि परिवादी एवं अभियुक्ता एक ही समाज, एक ही गाँव के रहने वाले पड़ोसी हैं एवं आपस में भाई-बंध हैं, जिसके फलस्वरूप परिवादी ने अभियुक्ता को उसकी घरेलू आवश्यकता एवं निजी कार्य हेतु 3,30,000/- रुपये उधार दिये थे, अभियुक्ता ने उक्त रुपयों को जल्द ही चुकाने का वायदा किया था। अभियुक्ता ने उक्त उधार दी गई राशि को चुकाने के पेटे अपने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दौसा का खाता संख्या 25480100019576 का एक चैक नम्बरी 000007 तादादी 3,30,000/- रुपये का, जिसका भुगतान दिनाँक 21.06.2023

को होना था, अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया एवं आश्वासन दिया कि उक्त चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसमें दर्ज राशि का भुगतान परिवादी को हो जायेगा। परिवादी ने उक्त चैक को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा में स्थित खाता संख्या 61086687689 में भुगतान हेतु लगाया तो बैंक ने उक्त चैक को "Kindly contact Drawer Drawee Bank and please present again" के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान रिटर्न मीमो के साथ दिनाँक 03.07.2023 को वापस लौटा दिया। चैक अनादरित होने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्ता को उक्त चैक अनादरण की सूचना व चैक की राशि का 15 दिवस में भुगतान करने हेतु एक नोटिस दिनाँक 04.07.2023 को भिजवाया था। अभियुक्ता द्वारा उक्त नोटिस की मियाद 15 दिन समाप्त होने के पश्चात् भी चैक की राशि का भुगतान नहीं किया, तत्पश्चात् परिवादी द्वारा उक्त परिवाद न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान की कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

3. तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को दिनाँक 11.07.2024 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्ता ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा परिवादी ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं मोतीलाल को पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श–1, चैक अनादरण मीमो प्रदर्श–2, विधिक नोटिस प्रदर्श–3, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श–4 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्ता को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को गलत बताते हुए यह कथन किया कि उसे परिवादी ने कोई पैसे नहीं दिए, मोतीलाल उसके पड़ोस में रहता है व फ्रॉड तरीके से चैक जारी किए हैं, जिसकी पापड़दा व कोतवाली थाना में फ्रॉड चैक जारी करवाने की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है।

5. बचाव में अभियुक्ता ममता ने साक्ष्य सफाई में स्वयं को डी.डब्ल्यू.1 व गवाह सुखलाल को डी.डब्लयू.2 के रूप में परीक्षित कराया। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनकर आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित

करते हुए अभियुक्ता को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया है। अतः यह अपील इस न्यायालय में पेश हुई है।

6. बहस अपील उभयपक्ष सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/परिवादी का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश विधि व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके आक्षेपित निर्णय पारित किया है। परिवादी की साक्ष्य से उसके व अभियुक्ता के मध्य लेन–देन होना साबित है। अभियुक्ता को चैक अनादरण के पश्चात् नोटिस दिया गया था, उसके पश्चात् भी उसने चैक राशि का भुगतान नहीं किया और न ही उक्त नोटिस का कोई जवाब पेश किया है, ऐसी स्थिति में उसकी मौन स्वीकृति साबित होती है। परिवादी ने अपनी साक्ष्य से यह तथ्य बखूबी साबित किया है कि उसने अभियुक्ता को पैसे उधार दिये थे, जिनकी अदायगी में अभियुक्ता द्वारा दिया गया चैक अनादरित हो गया है। जहाँ तक विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि चैक अनादरण का कारण अपर्याप्त राशि नहीं होकर अन्य कारण रहा है तो बैंक के नियमों के अनुसार चैक अनादरण के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें "Kindly contact Drawer Drawee Bank and please present again" का कारण भी चैक राशि का भुगतान नहीं होना रहा है। ऐसे में अभियुक्ता अपने विधिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है।

8. विद्वान अधिवक्ता का आगे इसी क्रम में यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्ता श्रीमती ममतादेवी खेतीबाडी का कार्य करती है। परिवादी व अभियुक्ता दोनों एक ही परिवार व समाज के हैं। अभियुक्ता ने परिवादी ने 3,30,000/–रूपये नकद उधार लिए थे। अभियुक्ता श्रीमती ममतादेवी के पति मुकेश ने परिवादी मोतीलाल से कर्ज लिया था, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्ता ने परिवादी को प्रश्नगत चैक स्वयं के हस्ताक्षरशुदा जारी किया था। अभियुक्ता द्वारा दिनांक 07.07.2023 को परिवादी के विरूद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2023 पुलिस थाना पापडदा में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दर्ज करवायी थी, उसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरान्त अदम वकु झूंठ में एफ.आर. पेश कर दी गई थी। संबंधित न्यायालय में एफ.आर.पेश होने के पश्चात अभियुक्ता को नोटिस जारी किए गए थे किन्तु ना तो वह न्यायालय में उपस्थित हुई और ना ही कोई विरोध याचिका पेश की गई, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2026 को उक्त एफ.आर स्वीकार की जा चुकी है।

इसके अलावा अभियुक्ता द्वारा परिवादी के नाबालिग पुत्र के विरूद्ध महिला पुलिस थाना दौसा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी, जिसमें उसने स्वयं की नाबालिग पुत्री के साथ परिवादी के नाबालिग पुत्र द्वारा छेडछाड के आरोप लगाए थे तथा घटना रिपोर्ट दर्ज कराने से करीब तीन–माह पूर्व की होना बताई थी। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा परिवादी के नाबालिग पुत्र के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड, दौसा में आरोप पत्र पेश किया गया था, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड दौसा द्वारा दिनांक 25.03.2026 को अपीलार्थी/परिवादी के नाबालिग पुत्र को धारा 376(2)(एन), 376(3), 457 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3, 4(2), 5(एल), 6 व 42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व आदेश अपास्त किया जाकर अभियुक्ता को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर परिवादी को चैक राशि मय ब्याज दिलवाई जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थिया/अभियुक्ता का तर्क रहा है कि आक्षेपित निर्णय व आदेश विधिसम्मत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य सामग्री का अवलोकन करने के उपरान्त आक्षेपित निर्णय व आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अभियुक्ता अथवा उसके पति द्वारा परिवादी से कोई राशि उधार नहीं ली गई थी। अभियुक्ता गृहिणी है, जिसके पास आय का कोई आधार नहीं है। परिवादी ने छलपूर्वक अभियुक्ता के बैंक से चैकबुक प्राप्त की थी तथा चैक पर अभियुक्ता के फर्जी हस्ताक्षर करके उसे बैंक में प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में अभियुक्ता द्वारा पुलिस थाना पापडदा में दिनांक 07.07.2023 को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2023 भी दर्ज करवायी थी किन्तु उक्त मामले में पुलिस द्वारा परिवादी से मिलीभगत करके झूंठे तथ्यों के आधार पर एफ.आर. पेश कर दी गई थी। जहाँ तक अभियुक्ता द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड व बलात्संग करने के संबंध में परिवादी के नाबालिग पुत्र के विरूद्ध दर्ज कराए गए मुकदमें में उसे किशोर न्याय बोर्ड, दौसा द्वारा दोषमुक्त किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में स्वयं परिवादी मोतीलाल ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि यदि अभियुक्ता मुकदमा दर्ज नहीं करवाती तो वह भी उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करवाता। अभियुक्ता द्वारा परिवादी के पुत्र के विरूद्ध दर्ज करवाए गए उक्त मुकदमे में दबाव बनाने के लिए परिवादी की ओर से अभियुक्ता के विरूद्ध चैक अनादरण का यह

झूंठा मुकदमा पेश किया गया है। अतः निवेदन किया गया है कि अपील खारिज की जावे।

10. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश विधिसम्मत् है अथवा नहीं?

11. विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी मोतीलाल पी.डब्ल्यू.1 ने अपने परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि परिवादी एवं अभियुक्ता एक ही समाज, एक ही गाँव के रहने वाले पड़ोसी हैं एवं आपस में भाई–बंध हैं, जिसके फलस्वरूप परिवादी ने अभियुक्ता को उसकी घरेलू आवश्यकता एवं निजी कार्य हेतु 3,30,000/– रुपये उधार दिये थे, अभियुक्ता ने उक्त रुपयों को जल्द ही चुकाने का वायदा किया था। अभियुक्ता ने उक्त उधार दी गई राशि को चुकाने के पेटे अपने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दौसा का खाता संख्या 25480100019576 का एक चैक नम्बरी 000007 तादादी 3,30,000/– रुपये का, जिसका भुगतान दिनाँक 21.06.2023 को होना था, अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया एवं आश्वासन दिया कि उक्त चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसमें दर्ज राशि का भुगतान परिवादी को हो जायेगा। परिवादी ने उक्त चैक को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा में स्थित खाता संख्या 61086687689 में भुगतान हेतु लगाया तो बैंक ने उक्त चैक को "Kindly contact Drawer Drawee Bank and please present again" के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान रिटर्न मीमो के साथ दिनाँक 03.07.2023 को वापस लौटा दिया। चैक अनादरित होने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्ता को उक्त चैक अनादरण की सूचना व चैक की राशि का 15 दिवस में भुगतान करने हेतु एक नोटिस दिनाँक 04.07.2023 को भिजवाया था। अभियुक्ता द्वारा उक्त नोटिस की मियाद 15 दिन समाप्त होने के पश्चात् भी चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा न ही नोटिस प्राप्त कर उसका जवाब दिया है। परिवादी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 4 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है।

12. बचाव पक्ष की ओर से परिवादी से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है। अभियुक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि उसने परिवाद में क्या लिखवाया था। परिवाद के पहले पैरा में उसने तीन लाख तीस हजार रूपये देने वाली बात लिखवायी है। यह बात सही है कि उसने वकील से

मुल्जिम को विधिक नोटिस दिनांक 04.07.2023 को दिलवाया था। यह बात सही है कि उसके बच्चे पर पोक्सो व दुष्कर्म का मुकदमा हुआ था। यह बात सही है कि उसने अपने बच्चे के उपर हुए मुकदमे के दो तीन दिन बाद ही विधिक नोटिस दिलवाया था। यह कहना गलत है कि केस को वापस लेने के लिए उसने दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा किया हो। उसने मुल्जिम को पैसे दिये हों, इस बात की ना तो उसने लिखावट लिखवायी है और ना ही किसी गवाह के कोई हस्ताक्षर करवाए हैं। यह बात सही है कि मुल्जिमान और हम आपस में भाई–भाई हैं। यह बात सही है कि ममता ने चैकबुक खोने की रिपोर्ट पापडदा थाने में दर्ज करवायी थी। यह बात सही है कि ममता का खाता दौसा में था। यह सही है कि ममता का खाता दौसा के बैंक ऑफ बडौदा में होने के कारण उसने रिपोर्ट कोतवाली थाने में भी करवायी थी। यह कहना गलत है कि चैक पर तारीख व हस्ताक्षर और लिखावट दुष्कर्म के मुकदमे के बाद की भरी हो। उसने दुष्कर्म के केस में डिफेंस में कोई गवाह नहीं दी। यह कहना गलत है कि उसने दुष्कर्म के केस में अपने बयानों में यह कहा हो कि दुष्कर्म का केस वापस ले लोगे तो मैं चैक का केस वापस ले लूंगा।

13. बचाव पक्ष की ओर से स्वयं अभियुक्ता ममता डी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित हुई, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने करवा दी थी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवायी, उसके 10–15 दिन बाद ही उनको चैक का नोटिस दे दिया था। उसे नोटिस से चैक की जानकारी हुई थी। उसने कोई रूपये पैसे नहीं लिए, ना ही कोई लिखापढी की थी। उसने किसी को कोई चैक नहीं दिया था। ना तो वह बैंक में गयी और ना ही उसने बैंक का कोई चैक बनवाया। चैक पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं है। बैंक से सांठगांठ करके बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी थाना पापडदा में एफआईआर नम्बर 76/2023 दर्ज करवायी थी। इस प्रकरण की जांच कोतवाली में लगभग दो साल से चल रही है। मोतीलाल ने कोतवाली में भी सांठगांठ करके सही जांच नहीं होने दी थी।

14. परिवादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पापडदा में उन्होंने चैक का मुकदमा दर्ज करवाया था। पापडदा में उसने यह आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ था और चोरी चकारी कर ली थी। चैकबुक कहां से निकलवायी थी, उसे पता नहीं है। उसने बैंक में जाकर चैकबुक का पता नहीं किया, क्योंकि उसने बैंक से कोई चैकबुक जारी नहीं करवायी। यह कहना गलत है कि मुकदमा दर्ज करवाने के पश्चात गांव में पंचायत हुई हो और उसमें पच्चीस लाख रूपये देने का कोई राजीनामा हुआ हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 21.06.2023 का

स्वयं का एक चैक रूपये तीन लाख तीस हजार रूपये का दिया हो। दिनांक 28.06.2023 को महिला थाने में मुकदमा चैक देने के बाद में करवाया था। चैक का मुकदमा तो उनके उपर दबाव डालने के कारण फर्जी मुकदमा किया था।

15. अभियुक्ता की ओर से परीक्षित करवाए गए अन्य साक्षी सुखलाल डी.डब्ल्यू.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दो साल पहले दिनांक 28.06.2023 की बात है। उसके भाई के 12-13 साल की लडकी है, जिसके साथ मोतीलाल के लडके ने गलत कर दिया था। उसके 6-7 दिन बाद उनके पास चैक का लीगल नोटिस आया था, फिर नोटिस आने के बाद उन्होंने पापडदा में मुकदमा करवाया था। मोतीलाल के जीजा बाबूलाल ने एक चैक करीब सात लाख का लगाया था, जिसका मुकदमा कहां चल रहा है, उसे मालूम नहीं है। मोतीलाल ने चैक पर फर्जी हस्ताक्षर करके झूंठा मुकदमा किया है। बाबूलाल ने भी फर्जी हस्ताक्षर करके चैक का मुकदमा किया है।

16. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ममतादेवी उसकी सगी भाभी है। उसकी भाभी ने कोई चैकबुक जारी नहीं करवायी। उसके हिसाब से चैकबुक फर्जी तैयार की गयी है। उन्होंने मुकमा चैकबुक फर्जी बनाकर चैक पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, इस बात का दर्ज करवाया था। ममता के नाम की चैकबुक उसने आज तक नहीं देखी। यह कहना सही है कि मोतीलाल के बेटे के विरूद्ध उसके भाई व भाभी ममता ने मुकदमा दर्ज करवाया रखा है। मुकदमेबाजी होने के बाद उनके गांव में पंचायत हुई थी, जो मोतीलाल ने करवायी थी, उन्होंने नहीं करवायी। यह कहना गलत है कि ममता ने मोतीलाल के सामने अपना कर्जा माफ करने व पच्चीस लाख में राजीनामा करने की शर्त रखी हो।

17. अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि परिवादी मोतीलाल ने अपने परिवाद, मुख्य परीक्षण एवं प्रदर्श पी-1 से पी-4 के माध्यम से यह विशिष्ट एवं सुसंगत कथन किया है कि अभियुक्ता श्रीमती ममता एवं वह एक ही समाज एवं ग्राम के निवासी होने के साथ-साथ पारिवारिक एवं सामाजिक निकटता रखते हैं, जिसके कारण विश्वासवश अभियुक्ता को उसकी घरेलू आवश्यकता एवं निजी कार्यों हेतु 3,30,000/-रूपये की राशि नगद उधार दी गई थी तथा उक्त वैधानिक दायित्व के निर्वहनार्थ अभियुक्ता द्वारा अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा दौसा स्थित खाते से प्रश्नगत चैक संख्या 000007 राशि 3,30,000/-रूपये दिनांक 21.06.2023 का जारी किया गया था। उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत

किए जाने पर वह 'Kindly Contact Drawer Drawee Bank and Please Present Again' टिप्पणी के साथ अनादरित होकर वापस लौटा, जिसके पश्चात विधिक नोटिस दिनांक 04.07.2023 अभियुक्ता को प्रेषित किया गया, किन्तु अभियुक्ता द्वारा न तो उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर दिया गया और न ही चैक राशि का भुगतान किया गया। यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियुक्ता ने नोटिस प्राप्ति से पूर्णतः इन्कार नहीं किया तथा नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि नोटिस का प्रत्युत्तर न देना अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता, तथापि यह एक प्रासंगिक परिस्थिति अवश्य है, जिसका मूल्यांकन अन्य साक्ष्य के साथ किया जाना अपेक्षित था।

18. दूसरी ओर अभियुक्ता ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों एवं स्वयं डी.डब्ल्यू.1 के रूप में यह प्रतिरक्षा ली है कि उसने परिवादी अथवा उसके परिवार से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया, न ही कोई चैक जारी किया, प्रश्नगत चैक पर अंकित हस्ताक्षर उसके नहीं हैं तथा परिवादी द्वारा छलपूर्वक उसकी चैकबुक प्राप्त कर फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता ने इस संबंध में थाना पापड़दा में एफ.आई.आर. संख्या 76/2023 दर्ज कराना भी बताया है। उसके समर्थन में डी.डब्ल्यू.2 सुखलाल ने भी कथन किया कि चैक फर्जी है तथा हस्ताक्षर अभियुक्ता के नहीं हैं किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रतिरक्षा का परीक्षण करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया कि कथित एफ.आई.आर. के अनुसंधान उपरान्त पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलार्थी के कथनानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2026 को उक्त अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। यदि वास्तव में अभियुक्ता की ओर से चैक, चैकबुक एवं हस्ताक्षरों को पूर्णतः फर्जी बताया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी, बैंक अभिलेख, चैकबुक निर्गमन रजिस्टर, खाता संचालन संबंधी अभिलेख, हस्ताक्षर नमूने तथा अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य का समुचित परीक्षण अत्यन्त आवश्यक था। विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते समय पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए गए तथा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा किस सीमा तक संभावनाओं की कसौटी पर विश्वसनीय पाई गई।

19. यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्ता की पुत्री से संबंधित पोक्सो एवं दुष्कर्म प्रकरण उसके पुत्र के विरुद्ध दर्ज हुआ था तथा उक्त मुकदमे के दो-तीन दिन बाद ही वर्तमान चैक अनादरण प्रकरण

का विधिक नोटिस भेजा गया था। वहीं अभियुक्ता का यह विशिष्ट बचाव रहा है कि उसकी पुत्री के साथ कथित घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण दबाव बनाने एवं प्रतिशोध स्वरूप वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर अपीलार्थी का यह कथन है कि उक्त पोक्सो प्रकरण में उसके पुत्र को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है तथा अभियुक्ता द्वारा चैक फर्जी होने के संबंध में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. भी अंतिम प्रतिवेदन के माध्यम से समाप्त हो चुकी है। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य गंभीर पारिवारिक एवं आपराधिक विवाद पूर्व से विद्यमान थे। ऐसी स्थिति में न्यायालय का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि वह न तो केवल वैमनस्य के आधार पर परिवाद को झूंठा माने और न ही मात्र वैधानिक उपधारणाओं के आधार पर दोषसिद्धि कर दे, बल्कि उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अत्यन्त सावधानीपूर्वक परीक्षण करे। विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलू पर पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया कि पूर्व वैमनस्य का प्रभाव दोनों पक्षों की साक्ष्य की विश्वसनीयता पर किस प्रकार पड़ता है तथा उसका अंतिम निष्कर्ष पर क्या प्रभाव है।

20. इसके अतिरिक्त यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक उपधारणाओं के संबंध में भी सम्यक् परीक्षण नहीं किया गया। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी चैक का निर्गमन तथा उस पर हस्ताक्षर प्रथमदृष्टया सिद्ध अथवा स्वीकृत हो जाते हैं, तब विधि यह उपधारणा करती है कि चैक किसी वैध एवं प्रवर्तनीय ऋण अथवा देयता के निर्वहनार्थ जारी किया गया था तथा उक्त उपधारणा का खण्डन करने का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है। वहीं यदि अभियुक्ता का यह विशिष्ट बचाव है कि हस्ताक्षर ही उसके नहीं हैं और चैक फर्जी है, तब न्यायालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह हस्ताक्षरों की सत्यता एवं चैक के स्रोत का समुचित परीक्षण कराए। अभिलेख से यह परिलक्षित नहीं होता है कि बैंक अधिकारियों की साक्ष्य, हस्ताक्षर सत्यापन, विशेषज्ञ राय अथवा अन्य प्रासंगिक साक्ष्य पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया हो। इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि प्रश्नगत चैक वास्तव में अभियुक्ता के खाते से संबंधित था या नहीं, चैकबुक कब एवं किस प्रकार जारी हुई, खाते का संचालन किस प्रकार होता था तथा अभियुक्ता की प्रतिरक्षा को समर्थन देने वाला कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय अभिलेखीय आधार उपलब्ध है अथवा नहीं। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत चैक का अनादरण 'Kindly Contact Drawer Drawee Bank and Please Present Again' टिप्पणी के साथ

हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा इस टिप्पणी की प्रकृति, उसका वास्तविक अर्थ, बैंकिंग व्यवहार में उसके विधिक परिणाम तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता का विस्तृत परीक्षण नहीं किया गया। यह आवश्यक था कि संबंधित बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर यह निर्धारित किया जाता कि उक्त टिप्पणी किन परिस्थितियों में अंकित की गई, क्या उसके पीछे भुगतान में बाधा, खाते की स्थिति, तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य कोई कारण था तथा क्या उक्त कारण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के दायरे में विचारणीय है या नहीं। बिना ऐसे परीक्षण के केवल उक्त टिप्पणी के आधार पर अभियुक्ता को दोषमुक्त कर देना अथवा परिवादी के दावे को अस्वीकार कर देना न्यायिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

21. उपरोक्त समग्र परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य का समग्र, संतुलित एवं विधिसम्मत मूल्यांकन नहीं किया गया है। अनेक महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे चैक एवं हस्ताक्षरों की सत्यता, चैकबुक निर्गमन संबंधी बैंक रिकॉर्ड, अभियुक्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. का अंतिम परिणाम, पक्षकारों के मध्य पूर्व वैमनस्य का प्रभाव, वैधानिक उपधारणाओं का विधिक परीक्षण, बैंक की टिप्पणी का वास्तविक आशय तथा अन्य प्रासंगिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिन पर स्पष्ट, स्वतंत्र एवं कारणयुक्त निष्कर्ष अपेक्षित थे, किन्तु उनका पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया। फलस्वरूप यह न्यायालय यह मानता है कि न्यायहित, निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत तथा सत्य की खोज के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, ताकि दोनों पक्षों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके तथा बैंक अभिलेख एवं अन्य प्रासंगिक साक्ष्य विधिवत् संकलित एवं परीक्षण किए जा सकें तथा धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम सहित प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों के आलोक में सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर स्वतंत्र, निष्पक्ष, कारणयुक्त एवं विधिसम्मत निर्णय नये सिरे से पारित किया जा सके। अतः वर्तमान परिस्थितियों में न्याय के हित में आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण को विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः विचार एवं नये सिरे से निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

22. परिणामतः अपीलार्थी/परिवादी मोतीलाल की ओर से प्रस्तुत यह दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांक 13.10.2025 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के पश्चात प्रकरण का नये सिरे से विधिसम्मत एवं स्वतंत्र निर्णय इस आदेश की प्राप्ति से तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से पारित करे। उभय पक्षों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि वे कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें, तो उन्हें विधि अनुसार पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय पूर्व में अभिलिखित किसी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना सम्पूर्ण विवाद का निष्पक्ष परीक्षण करेगा। इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापिस भिजवायी जावे। इस हेतु पक्षकारगण दिनांक 06.07.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सैशन न्यायाधीश, दौसा

23. यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सैशन न्यायाधीश, दौसा